न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :— सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण सख्या:— 30/2024 प्रारम्भिक निर्णय दिनांक:—07.04.2025

1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि खेमराज उम्र वयस्क निवासी बांसिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

—वादी

बनाम

1 शिण्गार पुत्री केहरा, पति सरदारसिंह उम्र वयस्क निवासी बांसिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान, दुसरा पता—1480/25, लक्ष्मी पुरानी, चाली विजय मिल सामे, नरोडा रोड अहमदाबाद गुजरात पिनकोड—382330
2 श्री भुमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :—वकील श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से
प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

::निर्णय::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीया गांव बांसिया व प्रतिवादी गांव बांसिया तहसील सीमलवाडा की स्थायी निवासी है। वर्तमान में विवाह के बाद से दुसरा पता—1480/25, लक्ष्मी पुरानी, चाली विजय मिल सामे, नरोडा रोड अहमदाबाद गुजरात पिनकोड—382330, में निवास कर रहे है। वादीया एवं प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांसिया में खाता संख्या 409, खसरा नम्बर 3074/1584 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में 1/2, 1/2 हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादीया एवं प्रतिवादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर प्राप्त कब्जे अनुसार आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीया अपने कयशुदा आराजी में प्राप्त कब्जे अनुसार कृषि कार्य करती आ रही है। लेकिन आस पडौसी जमीन हडपने को लेकर विवाद करते रहते है। जिसको लेकर वादीया उक्त आराजी में अपने हिस्से पर पत्थर गढी कराना चाहती है। लेकिन उक्त खाता शामलाती होने से पत्थर गढी करने से इंकार कर दिया गया है। जिस पर वादीया ने प्रतिवादी से कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में अपने हिस्सेनुसार व मौके पर प्राप्त कब्जे अनुसार रिकॉर्डेड बंटवारा करने को लेकर सॅपर्क करने पर बातचीत नही हो पा रही है। वहीं प्रतिवादी विवाह के बाद अन्यत्र निवास करने से एकत्रित करना भी मुश्किल है। जिससे रिकॉर्डेड बंटवारा नहीं होने पर भविष्य में और अधिक खातेदार एकत्रित होने से परेशानी का सामना करना पडेगा। जिस पर वादीया ने प्रतिवादी से सॅपर्क करने की कोशिश की लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

सँपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मौके व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी का विधिक बंटवारा कराना आवश्यक हो गया है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जो म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है।प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि प्रतिवादी बिना विधिक बंटवारा किये वादग्रस्त आराजी मौजा बांसिया में खाता संख्या 409, खसरा नम्बर 3074/1584 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में 1/2, 1/2 हिस्सा में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिकमण स्वयं करे, न ही अपने मित्र, एजेन्ट, मजदुरों करावे। वादग्रस्त आराजी कोई हिस्सा विकय, रहन, बक्षीस न करे न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादीत करे जिससे राजस्व रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरीत माना जावे तथा वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नहीं करे।

वादीया ने दाद चाही है किवादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांसिया में खाता संख्या 409, खसरा नम्बर 3074/1584 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में 1/2, 1/2 हिस्सा हैक्टेयर भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार ही रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते में कायम किया जावे।

वादीया द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन भेजने पर बाद तामिल होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीया ने अपने समर्थन में लिखित व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।
पीडब्ल्यु 1– वादीया लक्ष्मीदेवी पत्नि खेमराज निवासी बांसिया
प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी
प्रदर्श–2 नक्शा

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील वादीया ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांसिया में खाता संख्या 409, खसरा नम्बर 3074/1584 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में 1/2, 1/2 हिस्सा हैक्टेयर भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार ही रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते में कायम किया जाकर खातेदारी अधिकार बंटवारा स्कीम के तहत कानुनी बंटवारा कराया जाकर अलग अलग खाते कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज व साक्ष्य का अवलोकन किया। वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा बांसिया में खाता संख्या 409, खसरा नम्बर 3074/1584 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में 1/2, 1/2 हिस्सामें मौके व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद डिकी किया जाकर तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि बांसिया में खाता संख्या 409, खसरा नम्बर 3074/1584 खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में मौके पर उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादीया व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी किस्म/लोकेशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार हिस्सा देते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करें। दोनों पक्षकारों को नोटिस देकर सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तदनुसार प्रारम्भिक डिकी पर्चा डिकी कायम हो। निर्णय अनुसार बंटवारा स्कीम तहसीलदार सीमलवाडा से तलब की जाए।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा